कलकत्ता नगरपालिका निगम

बनाम

पवन के. सराफ और अन्य

13 जनवरी, 1999

[के. टी. थॉमस, डी. पी. वाधवा और एस. एस. मोहम्मद कादरी, जे.जे.]

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954: धारा 13 (3) और (5)-प्रावधान - खाद्य मिलावट रोकथाम नियम 1955: नियम 4-प्रपत्र 1 और 2 परिशिष्ट बी-मद ए. 04 :

खाद्य मिलावट- लोक विश्लेषक की और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट्स में विरोधाभास -प्रभाव -मिश्रित हींग -मिलावट का -लोक विश्लेषक की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है इसलिए मिलावटी है-दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट का कहना है कि नमूना मानकों के अनुरूप है-हालांकि, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट यौगिक हींग के तीन घटकों पर चुप है -रिपोर्ट भी निर्धारित रूप में नहीं भेजी गई -अभियुक्तों के अभियोजन पर रिपोर्ट में विरोधाभास का प्रभाव।

थॉमस और क्वाड्री, न्यायाधिपति के अनुसार यदि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र ने इसमें तीन तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं है, इसका केवल यह मतलब है कि नमूने में वे तत्व थोड़े से भी नहीं थे। एक बार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक का प्रमाण पत्र अदालत में पहुंचते ही लोक विश्लेषक की रिपोर्ट विस्थापित हो गई है और जो बचा हो सकता है वह केवल उसका एक जीवाश्म मात्र है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाण पत्र का कानूनी प्रभाव तीन गुना है , यह लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को रद्द या प्रतिस्थापित करता है, यह मामले में शामिल खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और मानक के बारे मे निश्चयत्मक्ता प्राप्त करता है और जहां तक उसमें बताए गए तथ्यों का संबंध है, यह अकाट्य हो जाता है। यदि कोई राज्य किसी तथ्य को अंतिम घोषित करता है तो कोई भी पक्ष गलत साबित करने के लिए सबूत नहीं दे सकता है -यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का तात्पर्य है।

दिल्ली नगर निगम बनाम घिसा ए आई आर (1967) एससी 970 = [1967] 2 एससीआर 116 और चेतुमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, ए आई आर (1981) एससी 1387 = [1981] 3 एससीसी 72 का आधार लिया गया।

अनुसार वाधवा, न्यायाधिपति (असहमति)

(गुण-दोष पर अंतिम राय व्यक्त किए बिना)

कानून के कथन पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि "यदि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उन तीन तत्वों के बारे में कुछ भी शामिल नहीं था इसका केवल यह मतलब है कि नमूने में उन तत्वों का थोड़ा सा भी शामिल नहीं था जब विश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में "। इस मामले में केंद्रीय खाद्य प्राधिकरण की रिपोर्ट में तीन तत्वों के संबंध में कुछ नहीं कहा अपितु निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं भेजा गया था -ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या यह सार्वजानिक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेगा इस न्यायालय द्वारा बिना किसी सूचना के विश्लेषक पर एकतरफा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए पक्षकारों को और मामले को गहराई से सुने बिना।

दिल्ली नगर निगम बनाम घिसा राम, [1967] 2 एससीआर 116 और चेतुमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, [1981] 3 एससीसी 72, विशिष्ट।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 136

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966: आदेश XVI नियम 10

विशेष अनुमति याचिका- विलंब-क्षमा - 309 दिनों का विलंब -देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया -याचिका देरी के आधार पर खारिज

कर दी गई- जब याचिका देरी के आधार पर खारिज कर दी गई अदालत को गुण -दोष पर नहीं जाना चाहिए।

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य बनाम वी. एमएस. कटीजी और अन्य ,ए आई आर (1987) एस. सी. 1353

रामलाल और अन्य बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, ए आई आर (1962) अनुसूचित जाति-361 और राम लाल कपूर एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम राम नाथ और अन्य , [1963] 2 एससीआर 242, संदर्भित।

कृष्ण बनाम चथप्पन, आईएलआर 13 मैड। 269 , उद्धृत किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार :विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) क्रम.सं. 3708 / 1998

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13.8.97 दिनांकित निर्णय और आदेश से सी. आर. एल. आर. सं. 1100 / 1996

एल. सी. अग्रवाल, (ए. सी.) (एन. पी.) याचिकाकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

जब हमने 5.11.1998 पर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया ये भी कहा की इस तरह की बर्खास्तगी के कारणों का पालन किया जाएगा। तदनुसार हम कहते हैं कि इसके कारण इस प्रकार हैंः

कलकत्ता नगर निगम द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी के खिलाफ खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत अपराध के लिए अभियोजन कार्यवाही को रद्द कर दिया गया उपरोक्त कार्यवाही निम्नलिखित पृष्ठभूमि में शुरू की गई थी :

19.7.1989 को कलकत्ता निगम के एक खाद्य निरीक्षक ने प्रतिवादी की दुकान से यौगिक हींग का नमूना लिया।जब नमूने का एक हिस्सा कलकत्ता के लोक विश्लेषक को भेजा गया विश्लेषण किया गया और मिलावटी पाया गया क्योंकि यह उस खाद्य पदार्थ के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था और इसलिए रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को। इसके बाद प्रतिवादी के खिलाफ कथित अपराध से संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत को शिकायत दर्ज की गई। जब प्रतिवादी पेशी पर दाख़िल हुआ उसने एक प्रार्थना अदालत से की नमूने के शेष भागों में से एक को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक को भेजने के लिए कहा और अदालत ने अनुरोध के अनुसार इसे भेज दिया के लिए। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक ने अदालत को एक प्रमाण पत्र भेजा जिसमें विश्लेषण के परिणाम को इस प्रभाव तक उल्लेखित किया गया कि नमूने में निहित खाद्य पदार्थ मिश्रित किए हुए हींग के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप है।

स्टार्च के लिए परीक्षण	सकारात्मक
प्राकृतिक रंग सामग्री	उपस्थित हैं।
कोलोफोनी राल के लिए परीक्षण	सकारात्मक
गैलबानम राल के लिए परीक्षण	नकारात्मक
अमोनिएक्यूम राल के लिए परीक्षण	नकारात्मक
किसी भी अन्य विदेशी राल के लिए परीक्षण	सकारात्मक
कोयले के तार रंगों के लिए परीक्षण	नकारात्मक
कुल राख	0.9%
खनिज वर्णक के लिए परीक्षण	नकारात्मक
ऐश डिल में अघुलनशील है एचसीआई	0.06%
शराब का अर्क (90 प्रतिशत शराब के साथ) का अनुमान लगाया जाता है यू. एस. पी. 1936 विधि	4.4%

इसके बाद प्रतिवादी उसे अभियोजन से मुक्त करने के लिए निचली अदालत का रुख करता है लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि "केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी विश्लेषण का प्रमाण पत्र पूरा नहीं था क्योंकि कुछ परीक्षणों के परिणाम उसमें इंगित नहीं किए गए थे।" इसके बाद प्रतिवादी ने मजिस्ट्रेट के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की विद्वान एकल न्यायाधीश अदालत ने

प्रतिवादियों की दलीलों को बरकरार रखा और अभियोजन की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

लोक विश्लेषक के विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं -

अल्कोहोलिक एक्सट्रैक्ट के संबंध में मानक के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा इसमें कोलोफोनी राल और विदेशी राल होता है। अतः ये मिलावटी है।

"17 अगस्त, 1989 के इस दिन हस्ताक्षरित।"

कुल राख%	0.66%
ऐश डिल में अघुलनशील है एच. सी. आई.%	0.04%
अल्कोहलिक अर्क (90 प्रतिशत शराब के साथ)%	5.50
कोलोफोनी के लिए परीक्षण	नकारात्मक
रंग के लिए परीक्षण	कोयले का तार रंग अनुपस्थित है
बोरिक एसिड परीक्षण	सकारात्मक

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र में निम्नांकित शामिल है:

" यह प्रमाणित किया गया है कि नमूना ..... विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में था और इसका विश्लेषण किया गया है/किया गया है और इस तरह के परीक्षणों के परिणाम/विश्लेषण नीचे दिए गए हैंः

और मेरी राय है कि नमूना मानकों के अनुरूप है पी. एफ. ए. नियम, 1955 के अनुसार यौगिक हींग का।

यौगिक हींग की गुणवत्ता का मानक निर्दिष्ट किया गया है आइटम नंबर ए.04 परिशिष्ट बी खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 में जो नीचे निकाला गया हैः

"इसमें शामिल नहीं होगा –

(ए) कोलोफोनी राल

(बी) गलबानुम रेसिन

(सी) अमोनिएक्यूम रेसिन

(डी) कोई अन्य बाहरी रेसिन

(इ) कोयला तार रंग,

(एफ) खनिज वर्णक

(जी)कुल राख की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक,

(एच) डेढ़ प्रतिशत से अधिक राख हाइड्रोकोलोरिक एसिड में अघुलनशील है

(आई) 5 प्रतिशत से कम मादक अर्क, (90 प्रतिशत अल्कोहल के साथ) जैसा कि यू. एस. पी. 1936 विधि द्वारा अनुमान लगाया गया है"

श्री तपस रे, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील -निगम ने हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्रमाण पत्र गैलबैनम राल, अमोनियाकम राल और खनिज वर्णक के बारे में मौन है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक ने नमूने के साथ उन परीक्षणों का संचालन नहीं किया है और इसलिए प्रमाण पत्र पर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

यदि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र उन तीन तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं था इसका केवल यह अर्थ है कि जब प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया तो नमूने में उन तत्वों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं था। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना अधिनियम की धारा 4 के अनुसार की गई है। पी. एफ. ए. नियमों के नियम 4 में अदालत द्वारा भेजे गए नमूने का एक हिस्सा प्राप्त होने पर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा पालन किए जाने वाले प्रावधान हैं। उप-नियम (4) निर्धारित करता है कि "निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए नमूने वाले पैकेज की प्राप्ति पर बाहरी आवरण पर मुहरों की तुलना अलग से प्राप्त नमूने के निशान से करेगी और उस पर

मुहर कि स्थिति नोट करेगा। उप-नियम 5 में कहा गया है कि विश्लेषण के बाद उसका प्रमाण पत्र फॉर्म II में भेजने वाले को तुरंत प्रदान किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 13 में लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के संबंध में साथ ही साथ केंद्रीय खाद्य निदेशक के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान हैं। अभियोजन की शुरुआत होने के बाद उस व्यक्ति जिसके पास से खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया है (और /या वह व्यक्ति जिसका नाम और पता धारा 14-ए के तहत प्रकट किया गया है) आरोपी का अधिकार है कि खाद्य पदार्थ के नमूने के शेष भागों में से एक का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण कराने के लिए अदालत में आवेदन करने का। यह उपरोक्त अभियुक्त का अधिकार है उसके या उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन से बचाव के लिए। उपरोक्त वैधानिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए उन्हें केवल निर्धारित समय के भीतर अदालत में आवेदन करना है। एक बार आवेदन किए जाने के बाद केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण का परिणाम प्राप्त करना अभियुक्त का काम नहीं है।

धारा 13 की उप-धारा (2-बी) अपेक्षा करती है कि अदालत केंद्रीय निदेशक को अपनी मुहर के तहत नमूने का एक हिस्सा प्रेषित करेगी। एक बार यह भेजे जाने के बाद उक्त निदेशक का कर्तव्य है कि वह "विश्लेषण के परिणाम को उल्लेखित करते हुए नमूने के हिस्से की प्राप्ति की तारीख से

एक महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में" अदालत को एक प्रमाण पत्र भेजे। धारा 13 की उप-धारा (3) इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है और इसे नीचे निकाला गया हैः

"केंद्रीय खाद्य निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र उप-धारा (2-बी) के तहत प्रयोगशाला उप-धारा (1) के तहत लोक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान लेगी।"

जब कानून कहता है कि प्रमाण पत्र रिपोर्ट का स्थान लेगा तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट रद्द या मिटा दी जाएगी। कानून में "सुपरसीड" शब्द का अर्थ है "मिटाना, अलग करना, रद्द करना, प्रतिस्थापित करना, शून्य या अप्रभावी या बेकार बनाना, निरस्त करना"। (देखें ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 5 वा एडिशन.)। एक बार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक का प्रमाण पत्र पहुँच जाता है तो लोक विश्लेषक की रिपोर्ट विस्थापित हुई पाती है और अवशेष उसका जीवाश्म मात्र है।

उपरोक्त संदर्भ में उप-धारा (5) के परंतुक पर भी विचार किया जा सकता है जो ऐसे प्रमाणपत्र के साक्ष्य मूल्य से संबंधित है। परंतुक का तात्विक भाग नीचे उद्धृत किया गया हैः

"बशर्ते कि कोई भी दस्तावेज़ जो केंद्रीय खाद्य प्रयोगशला के निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होने का दावा करता है .....अंतिम और उसमें बताए गए तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य होगा।

यदि किसी कानून द्वारा किसी तथ्य को अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है, तो उसका प्रभाव अत्याधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि तब कोई भी पक्ष खंडन के उद्देश्य के लिए साक्ष्य नहीं दे सकता है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का तात्पर्य है जो तीन प्रकार की धारणाओं को परिभाषित करता है जिनमें से अंतिम "निर्णायक साक्ष्य" है। "जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निर्णायक प्रमाण घोषित किया जाता है न्यायालय, एक तथ्य के प्रमाण पर दूसरे तथ्य को सिद्ध मानेगा और इसे गलत साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा।"

इस प्रकार केंद्रीय खाद्य निदेशक के प्रमाण पत्र का कानूनी प्रभाव तीन गुना है। यह लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को रद्द या प्रतिस्थापित करता है, यह मामले में शामिल भोजन की गुणवत्ता और मानक के संबंध में निश्चयात्मकता प्राप्त करता है और जहां तक तथ्यों की बात है तो यह अकाट्य हो जाता है

यदि निगम के विद्वान वकील के तर्क को बरकरार रखा जाता है और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाण पत्र को दरकिनार कर दिया

जाता है जैसा कि उसके द्वारा अनुरोध किया गया था, परिणाम यह है कि इसमें शामिल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या मानक दिखाने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं रहेगा। इसके अलावा, अभियुक्त को उसके वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को गलत साबित करने का।

उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा दो फैसलों में चित्रित किया गया है। दिल्ली नगर निगम बनाम घिसा राम, ए आई आर (1967) एस सी 970 = [1967] 2 एस. सी. आर. 116 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक ने अदालत को बताया कि उन्हें भेजे गए नमूने का हिस्सा अत्याधिक विघटित हो गया था और इसलिए कोई विश्लेषण संभावित नही था। अतः आरोपी दोषमुक्त किया गया और दोषमुक्ति को इस दलील से चुनौती दी गई कि किसी भी कारण से , केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट मानी जायेगी और अदालत उस पर कार्यवाही कर सकती है। इस अदालत ने देखा कि आरोपी का नमूना केंद्रीय खाद प्रयोगशाला से विश्लेषण करवाने का एक मूल्यवान कार्य है और ऐसा अधिकार दिया गया है "ताकि, उसकी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए, वह एक बड़े विशेषज्ञ द्वारा नमूने का विश्लेषण कर सके जिसका प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना है अदालत द्वारा "निर्णायक साक्ष्य" के रूप में।

चेतुमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 1387 [1981] 3 एस. सी. सी. 72 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक से एक प्रमाण पत्र मांगा गया था लेकिन निदेशक ने बताया था कि उन्हें भेजी गई मुहर का नमूना उस पात्र की मुहर से मेल नहीं खाता था जिसमें उन्हें नमूना भेजा गया था। प्रमाण पत्र में निदेशक ने उल्लेख किया कि भोजन की वस्तु में मिलावट की गई थी क्योंकि कुछ तत्व निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद निचली अदालत ने लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया जिसकी अपील में पुष्टि की गई थी और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन इस न्यायालय ने निम्नलिखित आक्षेपों के साथ दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दियाः

"यह स्पष्ट है कि दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत, लोक विश्लेषक को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार प्रतिस्थापित होने के कारण लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, एक दोषसिद्धि का आधार होने पर। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाण पत्र को सोच विचार से बाहर रखा गया है मोहरों के साथ छेड़छाड़ के कारण, वास्तव में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषी

ठहराया जा सके। अदालत लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं कर सकी क्योंकि वह प्रतिस्थापित हो गई थी।लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने का एकमात्र तरीका केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नमूने का परीक्षण करना था।"

उपरोक्त कारणों से उच्च न्यायालय ने केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाण पत्र के बल पर अभियोजन कार्यवाही को उचित ढंग से रद्द कर दिया है जो मामले में रिकॉर्ड पर ओआया है।

डी. पी. वाधवा, न्यायाधिपति. इस विशेष अनुमति याचिका पर 309 दिनों की रोक है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिए गए आदेश के खिलाफ है जो प्रतिवादी को अपराध से बरी करने का विचारण न्यायालय का आदेश खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम, संक्षेप में) की धाराओं के तहत। याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका को दायर करने में देरी की मांग करने वाला एक आवेदन है। आधार इस अदालत के निर्णय पर रखा गया है कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य में। वी. एमएस. काटीजी और अन्य , ए आई आर (1987) एस. सी. 1353। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय को देरी में माफ करने में उदार होना चाहिए। उदारता ठीक है, लेकिन देरी अक्षम्य है जब तक की पर्याप्त कारण न दिखाया जाए। ऐसा कानून नही है की जब देरी के लिए याचिका राज्य या किसी भी अधिकारी द्वारा लगाई जाए

अदालत को लगभग हमेशा निरपेक्षता से देरी को माफ करना चाहिए, चाहे पर्याप्त कारण दिखाया जाता है या नहीं। रामलाल और अन्य बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 361, में इस न्यायालय ने कहाः

" सीमा अधिनियम के एस.5 की व्याख्या में मस्तिष्क में यह वहन करना प्रासंगिक है की दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। पहला विचार यह है की अपील के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति डिक्री-धारक के पक्ष में अधिकार को उत्पन्न करती है डिक्री पार्टियों के बीच बाध्यकारी के रूप में माने। दूसरे शब्दों में, जब निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो गई है डिक्री धारक को कानून के तहत लाभ मिलता है की डिक्री चुनौती से परे है , और यह कानूनी अधिकार जो अर्जित हुआ है डिक्री धारक को समय के साथ हल्का -फुल्का नही लेना चाहिए। दूसरा विचार जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि यदि देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो विवेकाधिकार दिया जाता न्यायालय को देरी को माफ करने और अपील को स्वीकार करने के लिए। यह न्यायालय को जानबूझकर प्रदत्त किया गया है कि इस ओर से न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने में हो।जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कृष्ण बनाम चथप्पन, आईएलआर 13 मद्रास 269 में :

"धारा 5 न्यायालय को एक विवेकाधिकार देती है जिसका उपयोग अधिकारिता के संबंध में न्यायिक तरीके से किया जाना। शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग उन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से समझे जाते हैं; पर्याप्त कारण शब्द 'एक उदार निर्माण प्राप्त करते हैं ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब अपीलार्थी पर आरोप लगाने योग्य कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी न हो।"

आवेदन के मद 4 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित का वर्णन किया ऐसी परिस्थितियाँ जो इसके अनुसार न्यायालय के लिए देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण होंगीः

" विवादित आदेश 13.08.1997 पर पारित किया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता निगम ने मामले के परिणाम को निगम को नहीं बताया, उसी की प्रमाणित प्रति केवल 12.02.1998 पर परिणाम जानने पर ही लागू की जा सकती है। तदनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति 20.04.1998 पर वितरण के लिए तैयार थी। यह मई, 1998 के दौरान याचिकाकर्ता निगम के विधि विभाग के अधिकारियों द्वारा ली गई थी और जून, 1998 के दौरान एसएलपी दाखिल करने का निर्णय लिया गया था। अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस माननीय न्यायालय के फिर से खुलने पर एस. एल. पी. दायर करे। एस. एल. पी. दाखिल करने

के लिए भेजे गए कागजातों की जांच करने पर यह पाया गया कि वे एस. एल. पी. का मसौदा तैयार करने के लिए अपर्याप्त थे। तदनुसार 14.07.1998 को पत्र के माध्यम से, आवश्यक दस्तावेजों को अग्रेषित करने के लिए एक अनुरोध भेजा गया था, इस अनुरोध के बाद दिनांक 27.07.1998 को एक अनुस्मारक भेजा गया था। निगम के अधिकारी ने दिनांक 02.09.1998 इस मामले और अन्य मामलों के संबंध में दिल्ली का दौरा किया, लेकिन फिर से एस. एल. पी. के अनुलग्नक पी-2 के बिना, हालांकि एस. एल. पी. को अंतिम रूप दिया गया था और हलफनामे को निगम के अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई थी, लेकिन एस. एल. पी. के अनुलग्नक पी-2 के अभाव में इसे दायर नहीं किया जा सका। एस. एल. पी. का अनुलग्नक पी-2 15.09.98 पर प्राप्त हुआ और उसके बाद यह एस. एल. पी. बिना किसी देरी के दाखिल की गई।

अनुलग्नक पी-2 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की नवंबर 2,1989 की एक रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पास नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि देरी को माफ करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हमने इस आवेदन पर नोटिस जारी करना भी आवश्यक नहीं समझा और आवेदन को खारिज कर दिया। यह केवल तभी होगा जब इस न्यायालय के समक्ष आवेदन में उल्लिखित परिस्थितियाँ देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त

कारण दिखाएँगी कि नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XVI के नियम 10 में यह प्रावधान है कि जहां विशेष अवकाश के लिए याचिका उसके लिए निर्धारित सीमा की अवधि से परे दायर की गई है और उसके साथ है विलंब की क्षमा के लिए एक आवेदन , न्यायालय प्रत्यर्थी को बिना नोटिस दिए देरी को माफ नहीं करेगा। राम लाल कपूर एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम राम नाथ और अन्य, [1963] 2 एस. सी. आर. 242, प्रत्यर्थी द्वारा अपील की सुनवाई पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि इस न्यायालय ने विशेष अवकाश एकपक्षीय रूप से प्रदान किया था और इसे अनुचित रूप से प्राप्त किया गया है इसे निरस्त किया जाना चाहिए। छुट्टी मांगने वाला आवेदन (याचिका) बहुत देरी के बाद, यानी 4 साल के अंतराल के बाद दायर किया गया था।

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा आवेदन था जो इस अदालत के नियम द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि से परे बहुत देर से दायर किया गया था। उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उस लंबी देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और इसलिए छूट को रद्द कर देना चाहिए।"

हालाँकि, न्यायालय ने प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया उसके समक्ष मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में छूट को रद्द करने के लिए और निम्नांकित टिप्पणी की :

"फिर भी, हम मानते हैं कि हमें यह जोड़ना चाहिए, बहुत दुर्लभ मामलों को छोड़कर, यदि हमेशा नहीं, तो यह उचित होना चाहिए कि इस न्यायालय को एक स्थापित नियम के रूप में अपनाना चाहिए कि विशेष छुट्टी के लिए आवेदन करने में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए - आंशिक लेकिन ऐसे मामलों में छुट्टी देने से पहले प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना चाहिए और बाद वाले को छुट्टी की मंजूरी का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा कदम न्यायसंगत होने के अलावा, छुट्टी रद्द करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए बेहतर होगा आधार यह है कि छुट्टी देने के वर्षों बाद इसे बनाने में देरी को अनुचित तरीके से माफ कर दिया गया था, जब अदालत स्वाभाविक रूप से उस अन्याय से शर्मिंदा महसूस करती है जो अपीलकर्ता के साथ होता अगर छुट्टी रद्द कर दी जाती तो वह अन्य उपाय पर आगे बढ़ने के अवसर से वंचित हो जाता। हम सुझाव देंगे कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।"

इसलिए, यह केवल तभी है जब इस न्यायालय में बताए गए तथ्यों से देरी को माफ करने की मांग करने वाला आवेदन प्रथम दृष्टया इस

दृष्टिकोण का है कि नोटिस जारी करने का पर्याप्त कारण हो सकता है। अगर आवेदन में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है तो आवेदन खारिज करने पर कोई रोक नहीं है दूसरे पक्ष को बिना किसी सूचना के। चूंकि कोई पर्याप्त कारण याचिकाकर्ता द्वारा नहीं दिखाया गया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विलम्ब के आधार पर हमने याचिका को खारिज कर दिया।

हालाँकि हमने विशेष अनुमति याचिका को देरी के आधार पर खारिज कर दिया साथ साथ गुण दोष पर , पुनर्विचार पर मुझे लगता है कि यह विरोधाभास है शर्तों में। अगर हम देरी के आधार पर याचिका खारिज करते हैं तो हम गुण दोष में नहीं जा सकते यद्यपि सर्वोत्तम रूप से यह कहा जा सकता है कि यह इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

फिर भी अपने विद्वान भाइयों के प्रति उचित सम्मान के साथ मुझे लगता है कि मुझे कानून के कथन पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए कि यदि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उन तीन तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है कि नमूने में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उन तत्वों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं था जब विश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। इस तरह मैं चीजों को देखता हूं।

खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत, यौगिक हींग की गुणवत्ता का मानक, जिसे कथित तौर पर मिलावटी कहा गया था निर्धारित किया गया है। यौगिक हींग में नहीं शामिल होने चाहिए:

(ए) कोलोफोनी राल,

(बी) गलबानूम राल

(सी) अमोनिएक्सम राल

(डी) कोई अन्य विदेशी राल,

(ई) कोयला तार रंग

(एफ) खनिज वर्णक

(जी) कुल राख की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक,

(एच) डेढ़ प्रतिशत से अधिक राख अघुलनशील है डायल्यूट हाइड्रोकोलोरिक एसिड में

(आई) 5 प्रतिशत से कम एलोकोहोलिक अर्क, (90 प्रतिशत शराब के साथ) जैसा यू. एस. पी. 1936 विधि के द्वारा अनुमानित।

वर्तमान मामले में, जबकि लोक विश्लेषक ने उपरोक्त सभी मदों के संदर्भ में लेख का विश्लेषण किया, सी.एफ.एल.निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र ने गैलबैनम राल, अमोनियाकम राल और खनिज वर्णक के लिए कोई परीक्षण

नहीं दिखाया। अधिनियम की धारा 13 के तहत, लोक विश्लेषक को अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी है। इसी तरह सी. एफ. एल. के निदेशक को भी निर्धारित फॉर्म में नमूने के विश्लेषण का प्रमाण पत्र भेजना है। प्रपत्र अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 4 के तहत प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। जबकि लोक विश्लेषक को नियमों के नियम 4 (1) के तहत निर्धारित प्रपत्र 1 में अपनी रिपोर्ट भेजनी है, सी. एफ. एल. द्वारा परीक्षण या विश्लेषण का प्रमाण पत्र नियम 4 (5) के तहत निर्धारित प्रपत्र 2 में भेजा जाना है। वर्तमान मामले में, यह देखा जाएगा कि जबकि लोक विश्लेषक ने अपने निर्धारित प्रपत्र में विश्लेषण की रिपोर्ट भेजी, ऐसा सी. एफ. एल. के निदेशक द्वारा नहीं किया गया था। इन दोनों अधिकारियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए विश्लेषण से यह नहीं पता चलना चाहिए कि निर्धारित मानक के संदर्भ में नमूने का परीक्षण किया गया था? विचार के लिए यह उत्पन्न सवाल उत्पन्न हो सकता है कि यदि ऐसे मामले में, यह कहा जा सकता है कि सी. एफ. एल. के निदेशक की रिपोर्ट लोक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान ले लेगी जबकि निदेशक, सी. एफ. एल. की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसा हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय को स्वयं अपने से एक-पक्षीय निर्णय पर पक्षकारों को सूचना और मामले को गहराई से सुने बिना नहीं पहुंचना चाहिए।

श्री तपस रे का तर्क, कलकत्ता के विद्वान वकील नगर निगम, कि सी. एफ. एल. के निदेशक की रिपोर्ट गैलबैनम राल, अमोनियाकम राल और खनिज वर्णक के बारे में चुप है। यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने नमूने के साथ उन परीक्षणों का संचालन नहीं किया था और उसके द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जा सकता है पूर्ण तर्क सुने बिना किनारे नहीं किया जा सकता। इस आधार पर मैंने अपनी असमर्थता जताई इस विचार से सहमत होने में कि निदेशक, सी. एफ. एल. में केवल उन तीन तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि नमूने में उन तत्वों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं था।जब प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया था। वास्तव में मुझे लगता है कि इस न्यायालय द्वारा एक -पक्षीय सुनवाई पर कानून नहीं स्थापित करना चाहिए। भले ही याचिका को खारिज करने से दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून हर जगह लागू होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है।

दिल्ली नगर निगम बनाम घिसा राम, [1967] 2 एससीआर 116 में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई याचिका यह थी कि प्रत्यर्थी को निदेशक, सी. एफ. एल. की रिपोर्ट प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित किया गया अपीलार्थी द्वारा अभियोजन शुरू करने में देरी के कारण, प्रत्यर्थी को

वैध रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सका। यह मामला था जहाँ प्रतिवादी की दुकान से दही का नमूना उठाया गया था। इस अदालत ने कहाः

" यह हमें प्रतीत होता है कि जब अधिनियम की धारा 13(2) द्वारा एक मूल्यवान अधिकार प्रदान किया जाता है विक्रेता को नमूना देने के लिए जो केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा विश्लेषण किया गया, ये उम्मीद की जाए कि अभियोजन पक्ष इस तरह से आगे बढ़ेगा कि उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अधिकार मूल्यवान है क्योंकि निदेशक का प्रमाण पत्र लोक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान ले लेता है और इसके तत्वों के निर्णायक साक्ष्य की तरह माना जायेगा। जाहिर है, अधिकार विक्रेता को क्रम में दिया गया है कि उसकी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए, वह नमूना प्राप्त कर सकता है जिसका प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना है। ऐसे मामले में जहां कि अभियोजन पक्ष के जानबूझकर किए गए आचरण के कारण अधिकार से इंकार किया जाता है ,हम सोचते हैं कि विक्रेता, उसके मुकदमे में, इतना गंभीर रूप से पूर्वाग्रह है कि यह उचित नहीं होगा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखना, हालांकि रिपोर्ट मामले में निहित तथ्यों का सबूत बनी हुई हैं।"

न्यायालय ने यह भी देखाः

"हमें ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि हर मामले में जहाँ विक्रेता को अपने नमूने का परीक्षण निदेशक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा करवाने का अधिकार है निराश है, विक्रेता लोक विश्लेषक की रिर्पोट के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हम विचार करते हैं की सिद्धांत, जो भी हो, लागू होने चाहिए उन मामलों में जहां अभियोजन के आचरण के परिणामस्वरूप विक्रेता को उसके अधिकार को काम लेने के मौके से इंकार मिला हो। अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं यदि अधिकार निराश हो जाता है जिन कारणों के लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है।"

चेतुमल बनाम मध्य प्रदेश और अन्य , [1981] 3 एस. सी. सी. 72, एक आपत्ति ली गई थी कि निदेशक, सी. एफ. एल. द्वारा जारी प्रमाण पत्र ध्यान में नही रखा जा सकता क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनको भेजी गई नमूना मुहर पात्र की मुहर से मेल नहीं खाती थी जिसमे उन्हें तेल का नमूना भेजा गया था। इस न्यायालय ने कहाः

"केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक का प्रमाण पत्र मोहरों में छेड़छाड़ के कारण विचार से बाहर रखा गया है, वास्तव में अदालत के समक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया जा सके। अदालत लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं कर सकती क्योंकि वह प्रतिस्थापित कर दी गई है। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

को चुनौती देने का एकमात्र तरीका केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नमूने का परीक्षण करवाए जाना था। वर्तमान मामले में अपीलार्थी जिस अवसर का वह हकदार था, बिना उसकी किसी गलती के वंचित रह गया। इसलिए, अदालत के लिए खुला नहीं था की अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भर कर सके।"

ये दो फ़ैसले, मेरा मानना है, कि इस मुद्दे में उठाए गए तथ्यों से नहीं मिलते। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि निदेशक सी. एफ. आई. की रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है इसे देखते हुए यह पता नही लगता कि निदेशक सी. एफ. एल. ने सभी मानक नियमों के बाबत परीक्षण किए हैं।

मैं, अतः, बल्कि विशेष अनुमति याचिका को बिना मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए देरी के आधार पर खारिज करूंगा।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।